सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **81 / 2018** दायर दिनाँक **21.03.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. गणेशाराम दत्तक पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासीर तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. मानाराम पुत्र मूलाराम 2. खेमाराम पुत्र गीदाराम 3. उमाराम पुत्र गोरधन 4. घासीराम पुत्र गोरधन 5. बिरदी देवी पत्नी बालूराम 6. सेवाराम पुत्र बालूराम 7. कानाराम पुत्र बालूराम 8. बोदुराम पुत्र बालूराम 9. टीकुराम पुत्र नोलाराम 10. रामनिवास पुत्र मांगूराम 11. मूलाराम पुत्र बिरदाराम समस्त जाति जाट निवासीगण तारपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 12. उप तहसीलदार मौलासर 13. तहसीलदार डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
बन्टवारा व रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा–88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री दुरजाराम पूनिया अधिवक्ता, वादी।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01 ता 05, 07, 09 ता 11

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **28.03.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा तारपुरा की सरहद में खेत खसरा सं0 81 रकबा 13 बिस्वा वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त खसरा की जमीन बहामी बंटवारा के

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 81 / 2018
दायर दिनाँक 2103.2018, निर्णय दिनाँक 28.03.2018
गणेशाराम दत्तक पुत्र मानाराम, वगैरा।

अनुसार वादी की कब्जा काश्त की चली आ रही है। प्रतिवादी सं0 01 ता 11 का इस जमीन में कोई हक व अधिकार नहीं है।

पूर्व में बंटवाडे के अनसार मोके पर कुल जमीन अलग–अलग बंटी हुई है सिरोली नहीं है। वादी अपने हक व हिस्से की जमीन पर काबिज है और काश्त करता है। वादी ने अपनी बंटवाडे की जमीन पर सीवें कायम कर रखी है। इस प्रकार मौके पर कुल जमीन सिरोली नहीं है बल्कि बहामी बंटवाडे से बंटी हुई है। उक्त खसरा सं0 81 का बंटवाडा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस का करना आवश्यक हो गया है इसलिए बंटवारा का दावा पेश है।

बहामी बंटवाडे के अनुसार प्रतिवादीगण सं0 01 ता 11 के खसरा सं0 80 रकबा 12 बीघ 07 बिस्वा बंट में आई हुई है। इसलिए खसरा सं0 81 में प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है।

प्रार्थना वादी है कि बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादी सं0 01 ता 11 के इस अमर की सादिर फरमाई जावें कि खसरा सं0 81 रकबा 13 बिस्वा वाके सरहद तारपुरा का बंटवारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस वादी के पक्ष में इस प्रकार किया जावें कि उक्त खसरा सं0 81 की जमीन में वादी के हक व हिस्से में रखी जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज करने का आदेश फरमावें तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 11 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें तथा वादी अकेले के नाम खातेदारी घोषित की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 06, 08, 12, 13 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 05, 07, 09 ता 11 द्वारा राजीनामा पेश कर दिया गया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री दुरजाराम पूनियां ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री ओम प्रकाश पूनिया ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया। राजीनामा के मुताबिक, पक्षकारान् दावा अनुसार डिक्री चाहते हैं।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 81 / 2018
दायर दिनाँक 2103.2018, निर्णय दिनाँक 28.03.2018
गणेशाराम दत्तक पुत्र मानाराम, वगैरा।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् ने जरिये वकुलाय अपना राजीनामा पेश कर दिया है। पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद में राजीनामा पेश हो चुका है। वादी के वाद को किसी भी पक्षकारान द्वारा खण्डित नहीं किया गया है। अतः राजीनामा पक्षकारान् के मुताबिक दावा डिक्री जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादीगण, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद तारपुरा के खसरा संख्या 81 रकबा 13 बिस्वा की खातेदारी अकेले वादी गणेशाराम दत्तक पुत्र जीवणराम के नाम घोषित की जाती है तथा शेष खातेदारों का नाम उक्त खसरा नम्बर से हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **28.03.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 81/2018 दायर दिनॉक 21.03.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. गणेशाराम दत्तक पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासीर तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मानाराम पुत्र मूलाराम 2. खेमाराम पुत्र गीदाराम 3. उमाराम पुत्र गोरधन 4. धासीराम पुत्र गोरधन 5. बिरदी देवी पत्नी बालूराम 6. सेवाराम पुत्र बालूराम 7. कानाराम पुत्र बालूराम 8. बोदुराम पुत्र बालूराम 9. टीकुराम पुत्र नोलाराम 10. रामनिवास पुत्र गांगूराम 11. मूलाराम पुत्र बिरदाराम समस्त जाति जाट निवासीगण तारपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 12. उप तहसीलदार मौलासर 13. तहसीलदार डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
बन्टवारा, व रिकॉर्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा– 53, 88, R.T.Act.

दिनॉक **28.03.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री दुरजाराम पूनिया, वकील, वादी व श्री ओम प्रकाश पूनिया, वकील, प्रतिवादी संख्या 01 ता 05, 07, 09 ता 11 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा बख्वाहिश राजीनामा डिक्री सादिर कर, शरहद तारपुरा के खसरा संख्या 81 रकबा 13 बिस्वा की खातेदारी अकेले वादी गणेशाराम दत्तक पुत्र जीवणराम के नाम घोषित की जाती है तथा शेष खातेदारों का नाम उक्त खसरा नम्बर से हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **28.03.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner